



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक:- एफ-6 () उपा.राज. (सा.प्र.) / ननिज / 2015 / 53

दिनांक:- 13/07/2015

नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर निम्न विवरण में उल्लेखित निर्मित ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री), पुलियाओं/आर.ओ.बी. फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण, ट्राईऐंग्यूलर साईनैज, कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे बोर्ड), निर्मित बसशैल्डर्स, निर्मित सुलभ शौचालय, निर्मित यूनियोपल 20'X10' व सूची में अंकित विन्हित स्थानों पर संवेदक द्वारा नई यूनियोपल विज्ञापन साईट लगाने व निर्मित विज्ञापन साईटों पर विज्ञापन करने एवं संधारण हेतु, खुली नीलामी लाल कोठी मुख्यालय, ग्राउन्ड फ्लोर पर कमरा नं. 123 के बाहर की जायेंगी।

नीलामी दिनांक 17.08.2015 से 19.08.2015 तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक की जावेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	जोन का नाम	दिनांक	अमानता राशि
1.	यूनियोपल- मोती झूंगरी जोन, सिविल लाईन जोन, विद्याधर नगर जोन,	17.08.2015	16'X8' साईज के यूनियोपल के 15,000/- रु. (पन्द्रह हजार रु.) प्रति साईट व 30'X15' साईज के यूनियोपल के 25,000/- रु. (पच्चीस हजार रु.) प्रति साईट
2.	यूनियोपल-मानसरोवर जोन, सांगानेर जोन, आमेर जोन, हवामहल जोन (पूर्व),	18.08.2015	
3.	कियोस्क (बिजली के खंभों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड), मोतीझूंगरी जोन, आमेर जोन, हवामहल (पूर्व) जोन, पुलियाओं/आर.ओ.बी. फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण एवं निर्मित ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री), बसशैल्डर्स, ट्राईऐंग्यूलर साईनैज (रोड आईलैण्ड पर), निर्मित सुलभ शौचालय पर विज्ञापन एवं संधारण एवं 24 निर्मित यूनियोपल 20X10 वर्गफुट एवं उपरोक्त में से शेष बची विज्ञापन साईटें	19.08.2015	कियोस्क हेतु रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रति जोन एवं पुलियाओं/आर.ओ.बी. फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण 25,000/- रु. (पच्चीस हजार रु.), प्रति ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री) प्रति 20,000 रु. (बीस हजार रुपये), प्रति बसशैल्डर रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये), ट्राईऐंग्यूलर साईनैज प्रति (रोड आईलैण्ड पर) के 5,000 /- रु. (पांच हजार रु.), प्रति सुलभ शौचालय रुपये 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये) निर्मित यूनियोपल साईट 20'X10 रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये) प्रति एवं शेष विज्ञापन साईट्स की अमानता राशि उपरोक्तानुसार

नीलामी की प्रमुख शर्तें :-

- उपरोक्त यूनियोपल, ट्राईऐंग्यूलर साईनैज (रोड आईलैण्ड पर), निर्मित ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री), ओवरब्रिजो पुलियाओं/आर.ओ.बी. फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण, निर्मित बसशैल्डर्स, कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे बोर्ड), निर्मित सुलभ शौचालय, निर्मित यूनियोपल 20'X10' विज्ञापन लाईसेन्स जारी अवधि से (एक वर्ष तथा दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए नीलाम किये जावेंगे।
- इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व उपरोक्त विज्ञापन साईटें हेतु नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अमानता राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट से नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा व सभी शर्तों की पालना करनी होगी।
- उच्चतम बोलीदाता फर्म को नीलामी की चौथाई राशि (1/4) तुरन्त मौके पर जमा करानी होगी।
- उपरोक्त विज्ञापन साईटों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकेगी।
- नीलामी की अन्य शर्तें एवं उपरोक्त विज्ञापन साईटों, की सूची व शर्तों की जानकारी, नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipur.mc.org एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है अथवा राजस्व अधिकारी (होर्डिंग्स), निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर 226/राजस्व शाखा (होर्डिंग) कमरा नं. 221 में कार्यदिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट निगम मुख्यालय पर भी देखी जा सकती है।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है बोलीदाता को अपने पहचान पत्र की फोटोप्रति देनी होगी। बोलीदाता के साथ एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा।
- किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :-

- जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को डी.पी.आर. के नियमों के अनुसार प्रमुख अंग्रेजी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था करें।
- प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट एवं पोर्टल पर प्रदर्शित करावे।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

बस शैल्टर्स की शर्तें नीलामी : अगस्त 2015

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए बस शैल्टर्स पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 सितम्बर 2015 से 31 अगस्त 2016 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 20,000/- अक्षरे (बीस हजार रुपये मात्र) प्रति शैल्टर्स अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा बस शैल्टर्स की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे बस शैल्टर पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित बस शैल्टर में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं निर्धारित स्थल पर जयपुर सिटी का मानचित्र प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
5. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
6. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेन्सी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देगे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर बसशैल्टर्स पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 सितम्बर 2016 से 31 अगस्त 2017 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 सितम्बर 2017 से 31 अगस्त 2018 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. बस शैल्टर पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा, इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बस शैल्टर्स पर किसी व्यक्ति/फर्म/संस्थान द्वारा पोस्टर चिपकाने पर बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जाने पर, उसे लगते ही तुरंत हटाने की जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी, यदि लाईसेंसी द्वारा तुरंत नहीं हटवाये जाते हैं तो नगर निगम द्वारा हटवाये जाने पर लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा निर्धारित किया गया हर्जा-खर्चा लाईसेंसी को नगर निगम जयपुर कोष में तुरंत जमा कराना होगा। हर्जा-खर्चा तुरंत जमा नहीं कराने की दशा में, जमा अमानत राशि में से कटौती कर ली जायेगी।
9. लाईसेंस अवधि में बस शैल्टर की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। बस शैल्टर्स विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि

th.

- किसी शैल्टर में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। शैल्टर्स का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। बस शैल्टर का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।
10. लाईसेंस अवधि समाप्ति तक लाईसेंसी को सभी शर्तों की पालना करनी होगी व ठेका अवधि समाप्ति पर बसशैल्टर सही हालत में सुपुर्द करने होंगे। लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना लाईसेंसी द्वारा किये जाने पर, जमा अमानता राशि लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर जमा अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
 11. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
 12. जनहित/यातायात में बाधक होने पर बस शैल्टर को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाईसेंसी द्वारा अपने खर्च पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा। 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को बस शैल्टर शिफ्ट करना होगा।
 13. अगर कोई बस शैल्टर जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
 14. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
 15. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी. आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
 16. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
 17. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।
 18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
 19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
 20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
 21. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
 22. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नही लौटाई जायेगी।
 23. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
 24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
 25. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

कियोस्क (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड)

नीलामी : अगस्त 2015

नगर निगम के सीमा क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर समस्त बिजली के खम्बों पर दो छोटे बोर्ड (कियोस्क) लगाने के लाइसेन्स की जोन बार नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार होगी। नीलामी निगम द्वारा विज्ञापित के अनुसार की जावेगी।

1. लाइसेन्स की अवधि :- विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष 01 सितम्बर 2015 से 31 अगस्त 2016 तक के लिए मान्य होगी। लाइसेन्सधारी द्वारा नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाइसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. क्षेत्र :- कियोस्क की नीलामी निगम के तीन जोनों के लिए पृथक-पृथक होगी इसमें क्षेत्रों का विभाजन कियोस्क लगाने की सुविधा के लिए किया गया है। क्षेत्र की विस्तृत जानकारी के लिए मानचित्र का अवलोकन किया जा सकता है परन्तु चारदीवारी के अन्दर जयपुर शहर में किसी भी प्रकार का विज्ञापन कियोस्क नहीं लगाया जा सकेगा। जोनों के क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार है:-

हवामहल जोन (पूर्व):-

जयपुर शहर के अंदर का भाग जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, रामगंज बाजार, सूरजपोल बाजार, घाटगेट बाजार एवं परकोटे के अन्दर के भागों को छोड़ते हुए शेष परकोटे का बाहरी भाग घाटगेट से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक एवं ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से दिल्ली बाईपास, पुरानी चूंगी तिराहे तक एवं इसके अतिरिक्त जोन का बचा हुआ क्षेत्र का भाग शामिल है।

आमेर जोन :-

जोरावर सिंह गेट से आमेर रोड कुण्डा बाईपास तक एवं जलमहल चौराहे से पुरानी चूंगी तिराहे, बन्ध की घाटी होते हुए, दिल्ली बाईपास रोड कुण्डा तक का भाग शामिल है।

मोतीढूंगरी जोन:-

अजमेरी गेट से पूर्व की ओर एम. आई. रोड शामिल करते हुये आगरा रोड घाटगेट तक व इसके दक्षिण का भाग/घाटगेट से पूर्व की ओर आगरा रोड छोड़ते हुए इसका दक्षिण का भाग, इसमें गोविन्द मार्ग मोतीढूंगरी रोड, जवाहर नगर जनता कॉलोनी आदर्श नगर तिलक नगर आदि क्षेत्र शामिल हैं, अजमेरी गेट से दक्षिण की ओर टोंक रोड टोंक पुलिया शामिल एवं पूर्व का भाग शामिल है टोंक पुलिया से दिल्ली रेलवे लाईन तक दिल्ली की ओर सीमा तक तथा इसका उत्तरी ओर का भाग शामिल है।

03. निम्न स्थानों पर कियोस्क बोर्ड नहीं लगाए जा सकेंगे।
 - (क) सर्किल के चारों ओर एवं बीच में लगे खम्बों पर।
 - (ख) पुराने जयपुर शहर की चार दिवारी क्षेत्र में लगे खम्बों पर।
 - (ग) राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु निषेध किया हुआ क्षेत्र यथा भगवानदास रोड (जनपथ रोड) पांचवल्ली से विधान सभा तक जे.एल.एन. रोड इत्यादि एवं सहकार सर्किल, बाईस गोदाम पुलिया से बाईस गोदाम सर्किल तक।
04. खम्बों पर लगाये जाने वाले कियोस्क बोर्ड अधिकृत व्यक्ति या फर्म द्वारा मजबूती के साथ सुस्था ध्यान में रखते हुए इस प्रकार लगाने होंगे कि जिससे आम जनता व अन्य किसी को क्षति ना पहुंचे यदि उसकी लापरवाही से किसी का नुकसान होगा तो उससे हर्ज-खर्च के लिए लाइसेन्सी स्वयं उत्तरदायित्व होगा नगर निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
05. प्रत्येक कियोस्क बोर्ड की साईज लम्बाई 40 इंच एवं चौड़ाई 30 इंच होगी तथा क्लिप लगाकर खम्बे के दोनों ओर कियोस्क लगाये जा सकेंगे। कियोस्क खम्बे पर एक दूसरे के आगे पीछे लम्बवत लगाने होंगे।
06. खम्बों पर कियोस्क बोर्ड विद्युत चलित कम्प्यूटराईज्ड बोर्ड नहीं लगाया जावेगा।
07. जिन मार्गों पर खम्बे वर्तमान में दोनों तरफ लगे हुये हैं उन मार्गों पर बाद में खम्बे सड़क के बीच में लग जाते हैं तो सड़क के बीच में खम्बों पर ही विज्ञापन प्रदर्शित करने की स्वीकृति होगी। वर्तमान में जहाँ खम्बे सड़क के बीच लगे हुये हैं उन पर ही लाइसेन्सी कियोस्क लगवा सकेगा वहां यदि सड़को के दाये ओर बाये ओर खम्बे लगे भी हैं तो उन पर कियोस्क लगाना वर्जित होगा। किसी भी ट्रांसफार्मर अथवा अस्थाई पोल पर कियोस्क लगाने की स्वीकृति नहीं होगी कियोस्क पर फिल्मी पोस्टर लगाना वर्जित होगा। बी.आर.टी.एस. रोड की ओर लगे विद्युत पोलों (बीच में लगे हुए) पर विज्ञापन नहीं किया जाकर रोड के एक तरफ अथवा दोनों तरफ लगे हुए विद्युत पोलों पर विज्ञापन किया जा सकेगा।
08. खम्बों पर कियोस्क सड़क/डिवाइडर की सतह से न्यूनतम 8 फिट ऊँचा होगा। एक खम्बे पर आगे पीछे कुल दो विज्ञापन कियोस्क बोर्ड लगाए जा सकते हैं। लाइसेन्सी खम्बों व कियोस्क को साफ सुथरा रखेगा। तथा निगम की उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ-2008 के अन्तर्गत विज्ञापन प्रदर्शित करेगा। अश्लील व भड़कीले तथा आपत्ति जनक विज्ञापन प्रदर्शित करना पूर्णतया वर्जित होगा निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त प्रकार के विज्ञापन को बिना पूर्व सूचना के हटा दे। उसका हर्ज-खर्च लाइसेन्सी से वसूल करे। खम्बे पर किसी प्रकार का कोई पोस्टर नहीं चिपकाया जावेगा ना ही कोई झंडे बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंगे प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जावेगे। यदि कोई पोस्टर झंडे बैनर पतंगे आदि लग जाये तो उसे लाइसेन्सी द्वारा तुरन्त हटवाया जावे।

9. कियोस्क लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य कियोस्क को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. लाईसेन्सी जो कियोस्क बोर्ड बिजली के खम्बों पर लगाएगा उसके चोरी हो जाने, गुम हो, जाने व खम्बों की संख्या कम हो जाने इत्यादि की जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी। नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा।
11. कियोस्क लाईसेन्सी को स्वयं के खर्च पर लगाने होंगे तथा लाईसेन्सी की सम्पत्ति होगी एवं कियोस्क खम्बों पर एकरूपता से लगाने होंगे जिससे शहर की सुन्दरता बनी रहे। लाईसेन्स की अवधि खत्म होने पर 3 दिवस में कियोस्क हटाने होंगे अन्यथा हटाने का खर्चा लाईसेन्सी से अमानता में से वसूला जावेगा।
12. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 100000/- अक्षरे (एक लाख रुपये मात्र) प्रति जोन के कियोस्क की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
13. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर कियोस्क (बिजली के खम्बों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 सितम्बर 2016 से 31 अगस्त 2017 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमण्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 सितम्बर 2017 से 31 अगस्त 2018 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
14. शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा जारी आदेश व निर्देश मान्य होंगे, जिसकी पालना लाईसेन्सी को करनी होगी। जयपुर नगर निगम उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ-2008 के प्रावधानों की भी पालना करनी होगी।
15. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
16. किसी विवाद में आयुक्त, नगर निगम जयपुर को अपील की जा सकेगी।
17. स्थान अथवा जोन सीमा विवाद होने पर लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी का निर्णय अंतिम होगा जो लाईसेन्सी को मान्य होगा।
18. यदि किसी न्यायालय के निर्देश, सरकार द्वारा प्रतिबंधित रोड़ एवं यातायात में बाधक होने पर अथवा अन्य अड़चन/कारण के कियोस्क हटाना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को स्वयं के खर्च पर करना होगा। निगम में जमा राशि में से कियोस्क हटाने अथवा हटने से हुए आर्थिक नुकसान के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा किसी प्रकार की राशि का रिफण्ड (पुनर्भरण) नहीं किया जायेगा एवं लाईसेंसधारी फर्म को नवीनीकरण शुल्क की पूर्ण राशि जमा करवानी होगी।
19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा समस्त कियोस्क को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी। इसके अभाव में लाईसेन्स अमान्य होगा।
22. नीलामी में लिए गये कियोस्क के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन अनुज्ञापत्रधारी को मान्य होगा।
24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
25. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।


लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

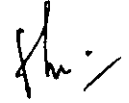
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

पुलियाओं/ROB फ्लावर पोटो (गमलों) पर विज्ञापन करने की शर्तें नीलामी : अगस्त 2015

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों पर बनी हुयी निर्मित पुलियाओ (आर.ओ.बी. एवं फ्लाईओवर) पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित पुलियाओं पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन करने का अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापित कार्यक्रम के अनुसार किया जावेगा।
2. पुलियाओं/ROB पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 सितम्बर 2015 से 31 अगस्त 2016) तक के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी सूची अनुसार एकजारी की जावेगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 25,000/- अक्षरे (पच्चीस हजार रुपये मात्र) पुलियाओं/ROB की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
5. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. निगम सीमा में पुलियाओं/ROB के डिवाइडर पर दो बिजली खम्बों के बीच दो फ्लावर पोटों (गमलों) में पेड़/पौधे (सुन्दर फूलों के) लगाने होंगे जिनमें से एक पोट पर निगम का स्लोगन एवं एक पोट पर फर्म द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्सी को अधिकार होगा। फ्लावर पोटों का साईज 2'X3' का होगा। निर्मित पुलियाओं पर लगे फ्लावर पोटों (गमलों) पर चारों ओर विज्ञापन/स्लोगन किया जायेगा।
7. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्सी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। पुलियाओं/ROB में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
8. पुलियाओं/ROB पर लगने वाले गमले, पेड़/पौधों एवं पुलियाओं की सफाई, रंग-रोगन व चित्रकारी आदि लाईसेंसधारी को कराना होगा एवं उनका संधारण भी लाईसेंसधारी को करना होगा। निगम विज्ञापन में नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित स्लोगन का विशेष ध्यान रखना होगा।
9. फ्लावर पोट (गमलों) एवं पेड़/पौधों का रख-रखाव सही नहीं होने पर एवं विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 शर्तानुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसिंग ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, पोटों पर लगे विज्ञापन को निगम द्वारा हटवा दिया जायेगा।
10. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेन्सी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देंगे।
11. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर पुलियाओं/ROB फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 सितम्बर 2016 से 31 अगस्त 2017 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली

- राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 सितम्बर 2017 से 31 अगस्त 2018 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
12. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों), पेड़/पौधों एवं पुलियाओं की सफाई, रंग-रोगन, चित्रकारी एवं प्रदर्शित विज्ञापन/श्लोगन की देखभाल एवं रख-रखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पुलियाओं पर रखे पोटों में पेड़-पौधे सही तरीके से हरे-भरे रखने होंगे एवं समय पर उनमें पानी, खाद्य देने की एवं समस्त रख-रखाव की जिम्मेदारी लाईसेंसधारी की होगी। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी पोट में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसि द्वारा ही स्वयं की हर्जे पर ठीक करवाना होगा। पोट दुरुस्त हालत में रंग-रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसि का होगा।
 13. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (पोटों को सही हालत में सम्मलाने पर) होने पर लाईसेंसि को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
 14. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
 15. अगर कोई फ्लावर पोटों (गमलों) को जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या बी.आर.टी.एस. रोड़/मेट्रो परियोजना के कारण या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
 16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
 17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
 18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया गया कर अथवा भविष्य में लगने वाला कर का वहन लाईसेंसधारी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
 19. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।


 लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
 नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

ओवर हैड साईनेज की शर्तें

नीलामी : अगस्त 2015

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ओवर हैड साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 सितम्बर 2015 से 31 अगस्त 2016) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 20,000/- अक्षरे (बीस हजार रुपये मात्र) प्रति ओवर हैड साईनेज अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। प्राप्त उच्चतम बोली स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृत बोली दर की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा कराई जायेगी जिसमें अमानता राशि का समायोजन किया जायेगा। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा ओवर हैड साईनेज की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे ओवर हैड साईनेज पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित ओवर हैड साईनेज में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं एक तरफ दिशा सूचक प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
5. ओवर हैड साईनेज पर लगे दिशा सूचक साईनेज पर यदि मिशन अनुपम, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं फर्म का नाम है तो उसे हटाकर उसके स्थान पर जयपुर नगर निगम व जयपुर नगर निगम का लोगो लगाना होगा। साईनेज रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट जो blue Color, Color No. 66 French blue as per 1.515 व अक्षर सफेद कलर में होगी।
6. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
7. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेन्सी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देंगे।
8. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ओवर हैड साईनेज (गैन्ट्री) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 सितम्बर 2016 से 31 अगस्त 2017 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 सितम्बर 2017 से 31 अगस्त 2018 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी।

9. ओवर हैड साईनेज पर प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओवर हैड साईनेज पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा तो उसे तुरंत हटाया जावेगा। यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
10. लाईसेन्स अवधि में ओवर हैड साईनेज की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। ओवर हैड साईनेज विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी ओवर हैड साईनेज में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के हर्जे पर ठीक करवाना होगा। ओवर हैड साईनेज का स्ट्रक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। ओवर हैड साईनेज का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
11. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (ओवर हैड साईनेज सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी।
12. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
13. जनहित/यातायात में बाधक होने पर ओवर हैड साईनेज को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाईसेन्सी द्वारा अपने खर्च पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा। 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को ओवर हैड साईनेज शिफ्ट करना होगा।
14. अगर कोई ओवर हैड साईनेज जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंस ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम जयपुर में निहित होगा तथा वहीं मान्य होगा तथा अनुज्ञापत्रधारी को पालना करनी होगी।
18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन अनुज्ञापत्रधारी को ही करना होगा।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
20. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
21. लाईसेंस की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होता है तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।


लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

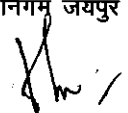
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

ट्राईऐंग्यूलर साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : अगस्त 2015

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. नगर निगम क्षेत्र में स्थित ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स के लिए एकजॉई साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एक वर्ष (01 सितम्बर 2015 से 31 अगस्त 2016) तक के लिए की जावेगी, जिसकी स्वीकृत सूची के अनुसार होगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापन कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक के ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स प्रति साइट के लिए 5,000/- रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। जिस फर्म ने नीलामी में कोई साइट नहीं ली है उसको अमानता राशि नीलामी के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी।
4. नीलामी के पश्चात् एकजॉई साईट्स की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 सितम्बर 2016 से 31 अगस्त 2017 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 सितम्बर 2017 से 31 अगस्त 2018 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान को प्रभावित नहीं करेगा की पूर्व शर्त नहीं होगी। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्ड पर) साइट की साईज त्रिभुजा (तीनों तरफ) 3'X10' फुट होगी जिसमें 3'X6' फुट (तीन तरफ) विज्ञापन, 3'X2' फुट (तीन तरफ) घड़ी व तापमान एवं 3'X2' फुट (तीन तरफ) नगर निगम स्लोगन एवं बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
9. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं लगायेगा। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
10. लाईसेन्स अवधि समाप्ति पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्चा लाईसेन्सधारी फर्म से वसूल किया जावेगा।

11. ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
12. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स का निर्माण निगम डिजाईन के अनुसार करना होगा इससे भिन्न डिजाईन बनाने पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार बनाना होगा एवं इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।
13. ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
14. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा।
15. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
17. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
18. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
22. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
24. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी।
25. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा।
26. अगर कोई ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
27. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
28. सभी ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
29. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।


लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन एवं संधारण की शर्तें

नीलामी : अगस्त 2015

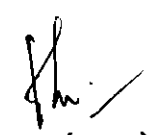
नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 सितम्बर 2015 से 31 अगस्त 2016 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी सूची अनुसार निर्मित शौचालयों पर की नीलामी पृथक-पृथक निर्मित शौचालय की होगी व शौचालय बाबत निगम द्वारा स्वीकृत बोली दाता को राशि जमा करानी होगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 15,000/- अक्षरे (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) प्रति निर्मित शौचालय पर अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा निर्मित शौचालयों एवं संधारण की पुनः नीलामी की जावेगी।
4. निगम सीमा में सूची अनुसार निर्मित शौचालयों की दीवार पर निर्धारित खाचो पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंस को अधिकार होगा, जो 400 वर्गफुट से अधिक नहीं होगा। नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन, नशे के चित्र (संकेत या लिखित) विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
5. बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन एवं सीवर कनेक्शन कराने व बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
6. विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेन्सी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देवे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 सितम्बर 2016 से 31 अगस्त 2017 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 सितम्बर 2017 से 31 अगस्त 2018 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. निगम द्वारा लाईसेन्सी को बिल/नोटिस भेजने के बाद यदि गणना, अवधि आदि में कोई त्रुटी रह जाती है तो निगम द्वारा की गई गणना, अवधि आदि किसी भी त्रुटी को लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी द्वारा दुरस्त/सुधार कर, संशोधित बिल/नोटिस प्रेषित किया जायेगा जिसकी पालना लाईसेन्सी को करनी होगी।
9. निर्मित शौचालयों पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव एवं सुन्दर रखने का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निर्मित शौचालयों पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा एवं इन्हें लाईसेन्सी द्वारा तुरन्त हटाया जावेगा। यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
10. लाईसेन्स अवधि में निर्मित शौचालयों व संधारण की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। निर्मित शौचालयों पर निर्धारित विज्ञापन स्थल पर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर दिया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शौचालय में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो

[Handwritten signature]

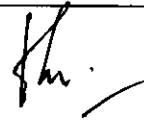
लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। शौचालयों का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। निर्मित शौचालयों का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।

11. निर्मित शौचालयों में शौचालय/बाथरूम/यूनिनल व अन्य सामान की देखभाल, टूट-फूट व रख-रखाव का दायित्व लाईसेन्सधारी का होगा। लाईसेन्स अवधि के दौरान किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा स्वयं के हर्ज-खर्च पर ठीक कराना होगा। शौचालयों की सुविधाओं को दुरुस्त हालत में रखना होगा। कोई सामान इत्यादि चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी। अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (निर्मित शौचालय सही हालत में) होने का प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) नगर निगम जयपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर लाईसेंसी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी।
12. लाईसेन्सधारी को प्रत्येक 3 (तीन) माह में जोन उपायुक्त या अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) से निर्मित शौचालयों को सही हालात में रख-रखाव करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. निर्मित शौचालयों का बंद होने व खुलने का समय नगर निगम द्वारा निर्धारित अनुसार होगा जो प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक से कम नहीं होगा।
14. निर्मित शौचालयों पर उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारित शुल्क शौचालय उपयोग के लिए 2/- रु. व बाथरूम के उपयोग के लिए 5/- रु. होगा एवं यूनिनल का कोई शुल्क नहीं होगा। निर्धारित शुल्क की दरों को निर्मित शौचालयों पर पठनीय स्थल पर दिखता हुआ लगाना अनिवार्य होगा।
15. निर्मित शौचालयों का संधारण एवं रख रखाव प्रतिदिन करना होगा जिसमें रोजाना टायलेट की सफाई, यूनिनल फर्श व दीवारें, छत एवं अन्दर की व बाहरी दीवारों की नियमित सफाई करनी होगी। सफाई के लिए फनाईल, नेपथीलीन वॉल का उपयोग करना होगा साथ ही टायलेट में साबुन, टावल व हाथ सुखाने के लिए डायर की व्यवस्था करनी होगी। उपायुक्त (राजस्व), उपायुक्त (स्वास्थ्य) या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्मित शौचालयों का निरीक्षण उपरान्त उपरोक्त अनुसार सफाई नहीं होने पर उनके द्वारा प्रतिवेदन पर बोलीदाता की जमा अमानता राशि से 500 रु. प्रतिदिन की दर से कटौती करने बाबत आदेश जारी करने का अधिकार लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी, नगर निगम जयपुर का होगा। शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर लाईसेन्स, लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी, द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। शौचालयों पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखेगा।
16. निर्मित शौचालयों पर संधारणकर्ता फर्म का नाम एवं नगर निगम जयपुर का नाम एवं लोगो अंकित करना अनिवार्य होगा।
17. फर्म द्वारा निर्धारित विज्ञापन स्थल के अलावा निर्मित शौचालयों पर अंदर व बाहरी दीवारों पर अन्य कोई भी विज्ञापन, पोस्टर, स्टेच्यू व अन्य प्रचार विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित नहीं करेगा और ना ही करने देगा।
18. निर्मित शौचालयों में किसी भी प्रकार का ताशपत्ती व अन्य खेल नहीं करेगा और ना ही करने देगा।
19. लाईसेंसी किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी फर्म को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
20. लाईसेंसी/फर्म निर्मित शौचालयों का आवासीय उपयोग नहीं करेगा एवं जानवर/वाहन पार्किंग इत्यादि के लिए निर्मित शौचालय के बाहर व अन्दर उपयोग नहीं करेगा।
21. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
22. जनहित/यातायात में बाधा होने पर अथवा BRTS/जयपुर मेट्रो परियोजना के कारण निर्मित शौचालयों को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा।
23. अगर शर्त संख्या 21 अनुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
24. किसी विवाद में आयुक्त, नगर निगम जयपुर को अपील की जा सकेगी।
25. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
26. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
27. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।
28. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।


लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

**कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)
की नीलामी सूची, अगस्त 2015**

क्र. सं.	जोन का नाम	विज्ञापन साईट	क्षेत्र
1	मोतीडूंगरी जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
2	हवामहल (पूर्व) जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
3	आमेर जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र





कार्यालय नगर निगम जयपुर

निर्मित सुलभ शौचालयों की नीलामी सूची
अगस्त 2015

क्र. सं.	कार्य स्थल का नाम
1.	बांगड़, सवाईमानसिंह अस्पताल, जे.एल.एन.मार्ग
2.	ट्रांसपोर्ट नगर गुरुद्वारे के सामने
3.	गवर्नमेन्ट हॉस्टल
4.	सतीशचन्द्र अग्रवाल सर्किल
5.	22 गोदाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
6.	गोपालपुरा बाईपास

Handwritten signature



कार्यालय नगर निगम जयपुर
24 निर्मित यूनिपोल "20x10" की नीलामी सूची
अगस्त 2015

क्र. सं.	स्थान
1.	बिरला मन्दिर के पीछे
2.	जवाहर सर्किल
3.	बांगड़ अस्पताल के पास, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
4.	जे.के.लोन अस्पताल के पास, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
5.	मोतीडूंगरी सर्किल
6.	एयरपोर्ट टर्मिनल - 2
7.	सूचना केन्द्र, टोंक रोड़
8.	स्टेट हैंगर
9.	सांगानेरी गेट
10.	टी-पॉइन्ट, ट्रांसपोर्ट नगर
11.	सांगानेर रोड़, रिद्धी सिद्धी के पास, त्रिवेणी नगर
12.	वर्ल्ड ट्रेड के पास, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
13.	नर्सरी सर्किल, वैशाली नगर
14.	200 फुट बाईपास, डी.सी.एम. अजमेर रोड़
15.	अजमेरी गेट
16.	आमेर कुण्डा
17.	जलमहल
18.	अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड़
19.	गवर्मेन्ट हॉस्टल
20.	पानी पेच
21.	अजमेर फ्लाईओवर, जलमहल सर्किल
22.	अम्बाबाड़ी, विधाधर नगर
23.	रामगढ मोड़
24.	बी-2 बाईपास



कार्यालय नगर निगम जयपुर

ओवर हैड साईनेज (गैन्ट्री)

अगस्त 2015 की नीलामी सूची

क्र.सं.	स्थान का विवरण	
1.	क्वीन्स रोड, सिरसी रोड जंक्शन, पूर्व की ओर।	
2.	कालवाड़ रोड, गोविन्दपुरा स्कीम के पास।	
3.	खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा पुलिया के पास।	
4.	गोपालपुरा बाईपास रोड पर आतिश मार्केट के पास।	
5.	सीकर रोड, खेतान हॉस्पिटल के सामने	
6.	सीकर रोड, मुरलीपुरा स्कूल के सामने	
7.	सीकर रोड, वी.के.आई. रोड नं. 1 सोनी हॉस्पिटल के पास	
8.	सीकर रोड वी.के.आई. रोड नम्बर 8, शर्मा ढाबा के पास	
9.	सीकर रोड, अलका सिनेमा के पास।	
10.	क्वींस रोड, प्रिंस रोड जंक्शन, पश्चिम की ओर।	
11.	क्वींस रोड आमग्राली जंक्शन।	
12.	क्वींस रोड, गांधी पथ जंक्शन।	
13.	क्वींस रोड, झारखण्ड मोड़ के पास, पश्चिम की ओर।	
14.	कलेक्ट्रेट रोड, सेशन कोर्ट गेट नम्बर-1 के बाहर।	
15.	कलेक्ट्रेट रोड, खासाकोठी सर्किल के पास।	
16.	एम.आई. रोड, गोवर्मेन्ट हॉस्टल के सामने।	
17.	अजमेर रोड, क्वींस रोड जंक्शन।	
18.	गोपालपुरा फ्लाईओवर के पास	
19.	रिद्धी-सिद्धी जंक्शन के पास	
20.	गोपालपुरा बाईपास, नियर महेश नगर पुलिस थाना	
21.	दिल्ली रोड, कुण्डा के पास	
22.	कालवाड़ रोड, जोशी मार्ग के पास	



पुलियाओं/आर.ओ.बी. फ्लावर पोटों (गमलो) पर विज्ञापन एवं संधारण
की नीलामी सूची, अगस्त 2015

क्र.सं.	स्थान का विवरण	
1.	जगतपुरा ROB	
2.	सीतापुरा पुलिया ROB	
3.	मानसरोवर पुलिया ROB	
4.	टोंक फाटक पुलिया ROB	
5.	मालवीय नगर ROB	
6.	भास्कर पुलिया ROB	
7.	सांगानेर फ्लाईओवर	
8.	दुर्गापुरा ROB	
9.	गोपालपुरा बाईपास ROB	
10.	टोंक रोड़ गोपालपुरा मोड़ फ्लाईओवर	
11.	बाईस गोदाम पुलिया ROB	
12.	अजमेर रोड़ पुलिया ROB	
13.	खातीपुरा पुलिया ROB	
14.	हसनपुरा पुलिया ROB	

Handwritten signature



कार्यालय नगर निगम जयपुर

ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (रोड ऑयलैण्ड पर)
की नीलामी सूची, अगस्त 2015

क्र.सं.	स्थान का विवरण	
1	जे.एल.एन.मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर बिड़ला मंदिर ऑयलैण्ड पर।	
2	जे.एल.एन.मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर दक्षिणी ओर बने ऑयलैण्ड पर।	
3	जे.एल.एन. मार्ग, बजाज नगर जवाहर कला केन्द्र के पास बने आर्यलैण्ड पर।	
4	टोंक रोड़, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.डी. स्कूल के पास बने ऑयलैण्ड पर।	
5	टोंक रोड़, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।	
6	टोंक रोड़, आश्रम मार्ग तिराहा दक्षिणी-पूर्वी ऑयलैण्ड पर।	
7	टोंक रोड़, ई.पी. चौराहा उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।	
8	झोटवाडा रोड़, पानीपेच तिराहा उत्तरी ओर बने ऑयलैण्ड पर।	
9	शिप्रापथ एस.एफ.एस., वी-2 बाईपास, मानसरोवर के पूर्वी ओर बने ऑयलैण्ड पर।	
10	अजमेर रोड़, किंग्स रोड़ पर बने पश्चिमी ओर ऑयलैण्ड पर।	

[Handwritten signature]



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

बस शैल्ट्स की नीलामी सूची

अगस्त 2015

क्र.सं.	स्थान का विवरण	
1.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बांगड़ अस्पताल के बाहर	
2.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी के सामने	
3.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, कॉनोडिया कॉलेज के बाहर	
4.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पोद्दार मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सामने	
5.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जवाहर कला केन्द्र के बाहर	
6.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस के बाहर	
7.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस के सामने	
8.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस चौराहे से 50 मी. दूर, मालवीय नगर की ओर MNIT के बाहर	
9.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पेट्रोल पम्प के पास एमएनआईटी के सामने	
10.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, सरस डेयरी के सामने	
11.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी मेन गेट के पास, ट्रैफिक सिग्नल चौराहे से जेडीए सर्किल की तरफ 50 मीटर आगे।	संवेदक को अपने खर्चे पर नया लगाना है।
12.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, हनुमान मंदिर के पास, बजाज नगर मोड़ के सामने	संवेदक को अपने खर्चे पर नया लगाना है।
13.	जे.एल.एन. मार्ग, जे.के.लोन हॉस्पिटल के बाहर।	
14.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, उनियारा गार्डन के बाहर।	
15.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जेडीए के पास टाउन प्लानिंग के पास।	
16.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर, डी-ब्लॉक मोड़ के पास।	
17.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर, डी-ब्लॉक मोड़ के सामने।	
18.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, लाल बहादुर मार्ग के सामने फोर्टिज के पास।	
19.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, आरयूआईडीपी के सामने क्लार्क होटल के पास।	
20.	क्वींस रोड़, झारखण्ड महादेव मंदिर के पास पूर्व की ओर	
21.	क्वींस रोड़, ब्रिगेडियर हाउस पूर्वी साईट	
22.	अजमेर रोड़ व क्वीन्स रोड़ जंक्शन (पूर्व दिशा में) नीलकण्ठ कॉलोनी गेट नं. 1 प्लॉट नं. 35 के सामने मिलेक्ट्री की दीवार के समानान्तर	शिफ्ट कर लगाना है।
23.	अजमेर रोड़ व क्वीन्स रोड़ जंक्शन (पश्चिम दिशा में)	
24.	क्वीन्स रोड़, गांधी पथ जंक्शन पूर्व की ओर	
25.	क्वीन्स रोड़, भान नगर के सामने (पूर्व दिशा में)	
26.	क्वीन्स रोड़, राठौड़ नगर के पास (पश्चिम दिशा में)	
27.	क्वीन्स रोड़, आम्रपाली जंक्शन (पश्चिम दिशा में)	
28.	क्वींस रोड़, सिरसी रोड़ जंक्शन पश्चिम की ओर।	
29.	क्वींस रोड़, प्रिंस रोड़ जंक्शन पूर्व की ओर।	
30.	क्वींस रोड़, आम्रपाली मार्ग जंक्शन (पूर्व की ओर)	
31.	गोपालपुरा बाईपास, महेश नगर तिराहा 80 फीट के सामने	
32.	गोपालपुरा बाईपास रोड़, सरकारी सैकण्डरी स्कूल के सामने (त्रिवेणी नगर)	
33.	गोपालपुरा बाईपास रोड़, 10-बी, स्कीम के पास रोड़ के पश्चिम की ओर पार्क के पास	संवेदक को अपने खर्चे पर नया लगाना है।

H.

क्र. सं.	स्थान का विवरण	
34.	गोपालपुरा बाईपास रोड़, सुभम् मार्बल 10-बी, स्कीम के सामने	
35.	न्यू आतिश मार्केट, प्रथम गेट के पास नाले के नुक्कड़ पर, फुटपाथ पर।	
36.	गोपालपुरा बाईपास, गंगा-जमुना पेट्रोल पम्प के सामने (संतोष नगर)	
37.	गोपालपुरा बाईपास रोड़, त्रिवेणी नगर चौराहा RHS गुर्जर की थड़ी।	
38.	गोपालपुरा बाईपास, रिद्धी-सिद्धी के दायी तरफ (केसव विहार)	
39.	गोपालपुरा बाईपास, रिद्धी-सिद्धी सर्किल	
40.	एम. आई. रोड़, सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय के बाहर एम.आई. रोड़	
41.	एम. आई. रोड़, न्यू गेट रामलीला मैदान के बाहर	
42.	एम. आई. रोड़, गोलछा स्कवायर के पास एम.आई.रोड़	
43.	एम. आई. रोड़, गवरमेंट हास्टल टैक्सी स्टैण्ड एम.आई.रोड़	
44.	एम. आई. रोड़, गणपति प्लाजा, हमरापुरा के बाहर एम.आई.रोड़	
45.	एम. आई. रोड़, रामनिवास बाग गेट के पास, एमआई रोड़।	
46.	सहकार मार्ग, ईमली वाला फाटक पश्चिम की ओर	
47.	सहकार मार्ग, ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सामने पश्चिम की ओर।	
48.	सहकार मार्ग, जे.पी. फाटक के पास पश्चिम की ओर	
49.	सहकार मार्ग, जयपुर पैलेस दक्षिणी ओर।	
50.	सहकार मार्ग, ट्रांसपोर्ट ऑफिस से पूर्व की ओर।	
51.	सहकार मार्ग, टिन्नी टायज स्कूल से पूर्व की ओर।	
52.	सहकार मार्ग, लक्ष्मी मंदिरा सिनेमा	
53.	सहकार मार्ग, ज्योति नगर थाने के पास।	संवेदक को अपने खर्चे पर नया लगाना है।
54.	सहकार मार्ग, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, पूर्व की ओर।	
55.	भवानी सिंह रोड़, रामबाग सर्किल दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर	
56.	भवानी सिंह रोड़, एल.आई.सी. ऑफिस के बाहर	
57.	भवानी सिंह रोड़, नीलकंठ काम्प्लेक्स के पास।	
58.	भवानी सिंह रोड़, कर भवन के बाहर।	

fh.

यूनिपोल साईट
मोतीडूंगरी जोन अगस्त 2015 की नीलामी सूची

1	MDZ-05	16X8	टोंक रोड़, महारानी कॉलेज की दीवार के समानान्तर, फुटपाथ पर स्लीप लाईन पर, वि.प.न. 2	
2	MDZ-06	16X8	अशोक मार्ग, जय क्लब की दीवार के समानान्तर, फुटपाथ पर चौराहा देखते हुये	
3	MDZ-10	16X8	टोंक रोड़, सूचना केन्द्र के सामने, आरोग्य मार्ग के, उत्तरी कोने पर, फुटपाथ पर समानान्तर	
4	MDZ- 18	16X8	टोंक रोड़, नारायण सिंह तिराहा, तोतूका भवन की दीवार के पास, अजमेरी गेट की ओर बने पुलिस बूथ के पास समानान्तर।	
5	MDZ- 25	16X8	टोंक रोड़, रामबाग सर्किल से सुबोध कॉलेज की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर समानान्तर	
6	MDZ- 31	16X8	टोंक रोड़,, सौम्य मार्ग के कोने पर, नेहरू बाल उद्यान की बाउंड्रीवाल के सहारे	
7	MDZ-33	16X8	मालवीय नगर, अपेक्स सर्किल के उत्तरी-पश्चिमी कोने पर केलगिरी की ओर से, वि.प.न.2	
8	MDZ-36	16X8	मालवीय नगर, अपेक्स सर्किल के उत्तरी-पूर्वी कोने पर, फुटपाथ के समानान्तर	
9	MDZ-40	30X15	शांति पथ, तिलक नगर, बिरला मंदिर पिछे, सर्किल के पास संजय कच्ची बस्ती ओर जाने वाले रास्ते के कोने पर	
10	MDZ- 41	16X8	शांति पथ, तिलक नगर, बिरला मंदिर पिछे, सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर वि.प.न. 1	
11	MDZ- 42	16X8	उपरोक्त सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर, वि.प.न.2	
12	MDZ- 43	16X8	शांति पथ तिलक नगर, टंकी के सामने, यूनिवर्सिटी की दीवार के पास बने ट्रांसफार्मर के समानान्तर	
13	MDZ-44	16X8	राजापार्क, पंचवटी सर्किल सरकारी स्कूल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	
14	MDZ-46	16X8	गोविन्द मार्ग, धर्मसिंह सर्किल से पहले पार्क के कोने पर	
15	MDZ- 48	16X8	मोतीडूंगरी रोड़ पर धर्मसिंह सर्किल पर, दक्षिणी-पूर्व कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे।	

16	MDZ- 55	16X8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल मुग्धबधिर स्कूल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर	
17	MDZ- 56	16X8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, गांधी सर्किल यूनिवर्सिटी की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर ।	
18	MDZ- 57	30X15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. चौराहे के पास, पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर	
19	MDZ- 58	16X8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. चौराहे के पास, उपरोक्त के सामने, एम.एन.आई.टी. की दीवार के समानान्तर	
20	MDZ- 64	16X8	एम.आई.रोड रंगमंच के गेट के सामने, रामनिवास बाग की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	
21	MDZ-65	16X8	एम.आई.रोड, जेम सिनेमा के सामने, रामनिवास बाग के गेट के पीछे, पश्चिमी ओर बाग की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर	
22	MDZ-66	16X8	एम.आई.रोड सरावगी मेन्शन के सामने, रामनिवास बाग की दीवार के समानान्तर	
23	MDZ- 73	16X8	हिम्मत नगर आरओबी, भास्कर के पास गांधीनगर स्टेशन रोड पर, सरस पार्लर के सामने, रेलवे दीवार के पास फुटपाथ पर।	
24	MDZ- 75	30X15	बजाज नगर ऐनक्लेवा स्कीम के सामने,, रेलवे क्वार्टर के बाहर, रेलवे दीवार के पास, सरस डेयरी देखते हुये।	
25	MDZ- 77	30X15	गांधीनगर स्टेशन रोड, आरओबी से पश्चिम की ओर रेलवे कम्पाउन्ड की दीवार के पास, हाजरी गाह के सामने	
26	MDZ- 78	16X8	जवाहर नगर, सेक्टर 7 के पास बने, सुलभ शौचालय के बाहर, कोने पर फुटपाथ पर	
27	MDZ- 80	16X8	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड, आरओबी से पहले, वनविभाग की दीवार के पास बने फुटपाथ पर, आरओबी देखते हुये	
28	MDZ- 83	30X15	जे.एल.एन. आरोग्य मार्ग के सामने, रेजीडेंट डॉक्टर, हॉस्टल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर	
29	MDZ- 84	30X15	जे.एल.एन. मार्ग, मुकबधिर स्कूल के दक्षिणी गेट के पास।	
30	MDZ- 85	30X15	जे.एल.एन.मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले, एम.एन.आई.टी दीवार के पास	

31	MDZ- 86	30X15	जगतपुरा आरओबी के पास, जगतपुरा रेलवे फाटक की रेलवे की दीवार के पास, मालवीय नगर देखता हुआ	
32	MDZ- 87	30X15	जगतपुरा आरओबी के पास, रेलवे प्लैट के सामने, निर्माणाधीन मंगलम बाजार के कोने पर जगतपुरा देखते हुये	
33	MDZ- 88	16X8	जवाहर नगर बाईपास, श्री नवलकिशोर शर्मा रोटरी के दक्षिणी पूर्वी कोने पर, आगरा रोड़ जाने वाले रास्ते के पास खाली भूमि पर आगरा रोड़ की ओर से विज्ञापन पट्ट नं. 1	New
34	MDZ- 89	16X8	जवाहर नगर बाईपास, श्री नवलकिशोर शर्मा रोटरी के दक्षिणी पूर्वी कोने पर, आगरा रोड़ जाने वाले रास्ते के पास खाली भूमि पर आगरा रोड़ की ओर से विज्ञापन पट्ट नं. 2	New
35	MDZ- 90	16X8	झालाना डूंगरी महात्मा गांधी मार्ग पर अरण्य-भवन की दीवार के पास फुटपाथ पर	New

Handwritten signature

यूनिपोल साईट
विद्याधर नगर जोन अगस्त 2015 की नीलामी सूची

1	VDZ-03	16X8	झोटवाड़ा रोड़, पीतल फैक्ट्री के सामने मंदिर के पास पूर्व की ओर	
2	VDZ-07	16X8	झोटवाड़ा रोड़, सुभाष नगर जाने वाले रोड़ के पूर्वी कोने पर सुभाष नगर की ओर से वि.प.न. 1	
3	VDZ-08	16X8	झोटवाड़ा रोड़, सुभाष नगर जाने वाले रोड़ के पूर्वी कोने पर सुभाष नगर की ओर से वि.प.न. 2	
4	VDZ-10	16X8	बनीपार्क, माधोसिंह सर्किल पर पूर्वी उत्तरी कोने पर सर्किल देखते हुये	
5	VDZ-11	16X8	शास्त्री नगर कावंटिया सर्किल के दक्षिणी पूर्वी कोने के फुटपाथ पर वि.प. नं. 1	
6	VDZ-13	16X8	शास्त्री नगर कावंटिया सर्किल के दक्षिणी पूर्वी कोने के फुटपाथ पर वि.प. नं. 2	
7	VDZ- 14	16X8	विद्याधर नगर, सिने स्टार चौराहा के दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर।	
8	VDZ- 15	16X8	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयन्ती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड़ के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि. प.न. 1	
9	VDZ- 16	16X8	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयन्ती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड़ के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि. प.न. 2	
10	VDZ- 19	16X8	विद्याधर नगर, सिनेस्टार चौराहे के उत्तरी-पश्चिमी कोने पर साईट संख्या 18 के पास।	
11	VDZ- 20	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे के टी-पॉइंट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि. प.न. 1।	
12	VDZ- 21	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे के टी-पॉइंट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि. प.न. 2।	
13	VDZ- 22	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे पर, उत्तर-पूर्व बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.न.2।	

[Signature]

14	VDZ- 23	16X8	विद्याधर नगर,, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे पर, उत्तर-पूर्व बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.न. 1।	
15	VDZ- 25	16X8	विद्याधर नगर,, नया खेड़ा के पास खण्डेलवाल टॉवर्स के पास चौराहे पर अग्रवाल केटर्स के पास, उत्तरी-पश्चिमी कोने पर।	
16	VDZ- 26	16X8	विद्याधर नगर,, नया खेड़ा के पास खण्डेलवाल टॉवर्स के पास चौराहे पर अग्रवाल केटर्स के पास, दक्षिणी-पूर्वी कोने पर	
17	VDZ- 27	16X8	अम्बाबाड़ी सर्किल पर उत्तरी-पूर्वी कोने पर	
18	VDZ- 37	16X8	विद्याधर नगर,, सर्किल सै. 5 पर उत्तरी पूर्वी कोने पर सै. 6 में बने प्लेटस की दीवार के पास	
19	VDZ- 39	16X8	विद्याधर नगर,, पुराने विद्याधर नगर सर्किल पर पश्चिमी की ओर कोने पर।	
20	VDZ- 40	16X8	झोटवाड़ा रोड़, पानीपेच तिराहे पर उत्तरी ओर कच्ची बस्ती के कोने पर समानान्तर।	
21	VDZ- 41	16X8	कलेक्ट्री सर्किल पर कबीर मार्ग के कोने पर, साईट सं. VDZ 44 के पास जयसिंह हाईवे रोड़ की ओर।	
22	VDZ- 42	16X8	कलेक्ट्री सर्किल, होटल जयपुर अशोक की दीवार के समानांतर जयसिंह हाईवे की ओर।	
23	VDZ- 44	16X8	कलेक्ट्री सर्किल, कबीर मार्ग के कोने पर, दीवार के समानान्तर।	
24	VDZ- 45	30X15	जयसिंह हाईवे फायर स्टेशन की दीवार के समानान्तर, चिंकारा कैन्टिन के सामने तिराहे पर।	
25	VDZ- 47	16X8	झोटवाड़ा रोड़ चांदपोल शमसान घाट गेट के पास बने हाजरीगाह की दीवार के पास चांदपोल देखते हुये।	
26	VDZ- 50	30X15	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के टी-प्वाइंट पर फुटपाथ पर फन सिनेमा देखते हुये	
27	VDZ- 51	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के पश्चिमी-उत्तरी कोने के फुटपाथ पर।	
28	VDZ- 52	16X8	विद्याधर नगर रोड़, सिने स्टार चौराहे के पूर्वी-उत्तरी कोने के फुटपाथ पर।	
29	VDZ- 53	16X8	विद्याधर नगर रोड़, सिने स्टार चौराहे के पूर्वी-दक्षिणी कोने के फुटपाथ पर।	
30	VDZ- 54	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के दक्षिणी-पूर्वी कोने के फुटपाथ पर नया खेड़ा के सामने।	

31	VDZ- 56	30X15	पानीपेच तिराहा, झोटवाड़ा रोड़, अकादमी हाउस की दीवार के पास	
32	VDZ- 57	30X15	विद्याधर नगर स्वर्ण जयंती पार्क के पास बने सुलभ शौचालय की दीवार के समानांतर कावंटिया सर्किल देखते हुये	
33	VDZ- 58	30X15	चिंकारा कैटिन के सामने साईट सं. 45 के पास चिंकारा कैटीन की ओर सर्किल देखते हुये	
34	VDZ- 59	30X15	कलैक्ट्री सर्किल अशोक होटल की दीवार के पास फुटपाथ पर शिव मार्ग की ओर	

fh

यूनिपोल साईट
सिविल लाईन जोन अगस्त 2015 की नीलामी सूची

1	CLZ- 05	16X8	टोंक रोड़ सवाई मानसिंह स्टेडियम के गेट के उत्तरी कोने पर स्टेडियम की रेलिंग के सहारे।	
2	CLZ- 07	16X8	सहकार मार्ग लक्ष्मी मंदिर के आगे, होटल जयपुर पैलेस के सामने, गैस गोदाम की ओर फुटपाथ पर, टोंक रोड़ देखते हुये।	
3	CLZ- 31	16X8	सरदार पटेल मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पास चौमूं हाउस सर्किल देखते हुये	
4	CLZ- 38	16X8	सरदार पटेल मार्ग, गोवर्मेन्ट प्रेस सर्किल, प्रेस की दीवार के सहारे फुटपाथ पर मालवीय मार्ग की ओर समानान्तर, वि.प.न.2	
5	CLZ- 46	16X8	स्टेशन रोड़, मोतीलाल अटल रोड़ पर हैण्डलूम हवेली जाने वाले रास्ते के कोने पर	
6	CLZ- 50	16X8	सिरसी रोड़ आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड़ देखते हुये, सिरसी रोड़ तिराहे की ओर से वि.प.नं. 1।	
7	CLZ- 51	16X8	सिरसी रोड़ आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड़ देखते हुये, सिरसी रोड़ तिराहे की ओर से वि.प.नं. 2।	
8	CLZ- 52	16X8	सिरसी रोड़, आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड़ देखते हुये सिरसी रोड़ तिराहे की ओर से वि.प.न. 3	
9	CLZ- 53	16X8	वैशाली नगर, वैशाली सर्किल पर बने शोपिंग से. की ओर डेयरी के पास सर्किल देखते हुये	
10	CLZ-54	16X8	वैशाली नगर, वैशाली सर्किल म.न. बी-285 के सामने दीवार के समानांतर सर्किल देखते हुये	
11	CLZ- 55	16X8	वैशाली नगर आम्रपाली सर्किल के कोने पर।	
12	CLZ- 57	16X8	वैशाली नगर नर्सरी सर्किल के उत्तरी कोने पर समानान्तर सर्किल देखते हुये, आम्रपाली सर्किल की ओर से वि.प.नं. 1।	
13	CLZ- 58	16X8	वैशाली नगर, नर्सरी सर्किल के उत्तरी पूर्वी कोने पर समानांतर सर्किल देखते हुये आम्रपाली सर्किल की ओर से वि.प.न. 2	

14	CLZ- 59	16X8	वैशाली नगर नर्सरी सर्किल के पास, नेशनल हैण्डलूम के सामने फुटपाथ पर समानान्तर।	
15	CLZ- 63	16X8	गीजगढ़ हाउस, हवा सड़क	
16	CLZ- 88	16X8	महावीर मार्ग, महर्षि दाधीच सर्किल पर दुकान नं. 12 की दीवार के सहारे फुटपाथ पर सर्किल देखते हुये।	
17	CLZ- 90	16X8	टोंक रोड़ फल मण्डी रोड़, नेहरू पैलेस के दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर समानांतर	
18	CLZ- 91	16X8	संसार चंद्र रोड़, होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की दीवार के समानांतर	
19	CLZ- 93	16X8	एम.आई.रोड़ आकाशवाणी की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	

[Handwritten signature]

यूनिपोल साईट
मानसरोवर जोन अगस्त 2015 की नीलामी सूची

1	MSZ-01	16X8	गोपालपुरा बाईपास, परमहंस धाम के सामने दक्षिणी ओर आर.ओ.बी. देखते हुये।	
2	MSZ-03	16X8	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट की पश्चिमी कोने पर गुर्जर की थड़ी देखते हुये।	
3	MSZ-04	16X8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहननगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पॉइंट पर गोपालपुरा देखते हुये, समानान्तर वि.प.नं.1।	
4	MSZ-05	16X8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहननगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पॉइंट पर गोपालपुरा देखते हुये, समानान्तर वि.प.नं.2।	
5	MSZ-06	30X15	गोपालपुरा बाईपास, रिद्धी-सिद्धी चौराहा के दक्षिणी-पूर्वी कोने पर फुटपाथ पर गुर्जर की थड़ी देखते हुये।	
6	MSZ-07	16X8	मानसरोवर वीर तेजाजी चौराहा मध्यम मार्ग चौराहे के उत्तरी-पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
7	MSZ-08	16X8	मानसरोवर वीर तेजाजी चौराहे पर ही पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
8	MSZ-10	16X8	मानसरोवर अग्रवाल फार्म एस.एफ. एस. चौराहे पर दक्षिणी-पूर्वी कोने पर।	
9	MSZ-11	16X8	मानसरोवर शिप्रापथ महारानी फार्म जाने वाले रास्ते पर दक्षिणी स्लीप लाईन के पास ही वि.प.नं. 2।	
10	MSZ-12	16X8	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पश्चिमी कोने पर दुर्गापुरा देखते हुये।	
11	MSZ-13	16X8	मानसरोवर महारानी फार्म पुलिया के पूर्वी उत्तरी कोने पर बाउझीवाल के सहारे समानांतर मानसरोवर देखते हुये	

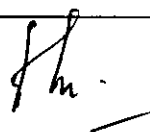
12	MSZ-16	16X8	गोपालपुरा बाईपास महेश नगर जाने वाले रास्ते से थोड़ा आगे नाले की पुलिया के उत्तरी-पूर्वी कोने पर।	
13	MSZ-21	16X8	गोपालपुरा बाईपास रेलवे पुलिया से पहले गणपति प्रोपर्टी की दुकानों के सामने रेलवे पुलिया देखते हुये	
14	MSZ-22	16X8	गोपालपुरा बाईपास उत्तरी ओर महेश नगर जोन जाने वाले रास्ते के कोने पर पुलिया देखते हुये	
15	MSZ-25	16X8	गोपालपुरा बाईपास रोड़, न्यू आतिश मार्केट के गेट के पहले पुलिया के पास फुटपाथ पर गुर्जर की थड़ी देखते हुये	
16	MSZ-27	16X8	गोपालपुरा बाईपास रिद्धी-सिद्धी से थोड़ा आगे महेश नगर रोड़ के सामने स्टेशनरी पैलेस के पास फुटपाथ पर	
17	MSZ-34	16X8	मानसरोवर शिप्रापथ पर केजीपी स्कूल के पहले पश्चिमी ओर खाली पड़ी भूमि पर शिप्रापथ देखते हुये।	
18	MSZ-36	16X8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहन नगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पाईंट पर गोपालपुरा रोड़ देखते हुये समानांतर वि.प.न.3	
19	MSZ-40	16X8	गोपालपुरा बाईपास गोपालपुरा रेलवे पुलिया से उतरने के बाद पश्चिमी दक्षिणी कोने पर गोपालपुरा रोड़ देखते हुये	
20	MSZ-46	30X15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने नाले की पुलिया के पास फुटपाथ पर समानांतर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखते हुये	
21	MSZ-47	30X15	गोपालपुरा आरोबी के पास आरोबी से दक्षिणी रेलवे बाउंड्रीवाल के पास बजरी मण्डी	
22	MSZ-48	30X15	गोपालपुरा आरोबी के पास, आरोबी के उत्तरी और रेलवे बाउंड्रीवाल के पास	

23	MSZ-49	30X15	टोंक रोड़, आश्रम मार्ग के उत्तरी-कोने पर फुटपाथ पर।	
24	MSZ-50	30X15	महारानी फार्म गायत्री नगर जाने वाली रोड़ के सामने फुटपाथ पर	
25	MSZ-52	30X15	टोंक रोड़, ई.पी. सिनेमा के सामने, प्रेम निकेतन अस्पताल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर	
26	MSZ-53	30X15	शिप्रापथ एस.एफ.एस. बी 2 बाईपास शिप्रापथ चौराहे के उत्तरी-पूर्वी कोने पर।	
27	MSZ-54	16X8	शिप्रापथ मोहननगर पुलिया आने वाले रास्ते के टी-पॉइंट पर साईट सं. MSZ-04 के पास एस.एफ.एस की ओर।	
28	MSZ-62	16X8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास बने नाले की पुलिया के पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर	
29	MSZ-63	16X8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास बने नाले की पुलिया के पूर्वी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर	
30	MSZ-64	16X8	मानसरोवर, न्यू सांगानेर रोड़ पर द्वारकादास पुरोहित मार्ग के टी-पॉइंट पर श्री राम व्हीलकेयर के पास सांगानेर की ओर से फुटपाथ पर विज्ञापन पट्ट नं. 1	New
31	MSZ-65	16X8	मानसरोवर, न्यू सांगानेर रोड़ पर द्वारकादास पुरोहित मार्ग के टी-पॉइंट पर श्री राम व्हीलकेयर के पास सांगानेर की ओर से फुटपाथ पर विज्ञापन पट्ट नं. 2	New
32	MSZ-66	16X8	गोपालपुरा बाईपास, किसान धर्मकांटे से आगे 200 फीट बाईपास के टी-पॉइंट पर ग्रीन ऐवन मैरिज गार्डन के पास फुटपाथ पर	New

Handwritten signature

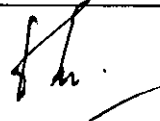
यूनिपोल साईट
आमेर जोन अगस्त 2015 की नीलामी सूची

1	AMZ-02	16X8	आमेर रोड़, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.न. 2	
2	AMZ-03	16X8	आमेर होटल के.के. रायल डेज के पूर्वी गेट के सामने स्वर्ण जयंती रंगमंच की दीवार के पास।	
3	AMZ-04	16X8	आमेर रोड़, कुण्डा से पहले ज्योति क्लिनिक के पास पूर्व की ओर बने फायर स्टेशन की बाउण्ड्रीवाल की दीवार के समानांतर।	
4	AMZ-08	16X8	आमेर रोड़, होटल होली डे इन, के सामने कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर आमेर देखते हुये।	
5	AMZ-09	16X8	आमेर रोड़, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.न.1	
6	AMZ-16	30X15	जलमहल AMZ-02 के पास नाले की दीवार के पास वि.प.न. 3	
7	AMZ-17	16X8	आमेर रोड़, कुण्डा, ज्योति क्लिनिक के पास।	



**यूनिपोल साईट
सांगानेर जोन अगस्त 2015 की नीलामी सूची**

1	SNZ-42	16X8	टोंक रोड़, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टोंक रोड़ की ओर से वि.प.न.1	
2	SNZ-44	16X8	टोंक रोड़, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के दक्षिणी कोने पर टोंक रोड़ की ओर से वि.प.न.1	



**यूनिपोल साईट
हवामहल (पूर्व) जोन अगस्त 2015 की नीलामी सूची**

1	HMZ(E)-6	16X8	दिल्ली रोड़ बाईपास बंध की घाटी से पहले जलमहल तिराहे पर दक्षिणी पश्चिमी कोने से HMZ(E)-05 के पास ही समानांतर जलमहल की ओर से वि.प.नं. 2	
2	HMZ(E)-7	16X8	दिल्ली रोड़ बाईपास बंध की घाटी से पहले जलमहल तिराहे पर दक्षिणी पश्चिमी कोने के उपरोक्त साईट के पास ही समानांतर जलमहल की ओर से वि.प.नं. 3	
3	HMZ(E)-8	16X8	दिल्ली रोड़ बाईपास बंध की घाटी से पहले जलमहल तिराहे पर दक्षिणी पश्चिमी कोने के समानांतर जलमहल की ओर से वि.प.नं. 4	
4	HMZ(E)-16	30X15	आगरा रोड़ कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर कब्रिस्तान गेट के पश्चिम की ओर गोविंद मार्ग देखते हुये	
5	HMZ(E)-18	30X15	आगरा रोड़ कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर कब्रिस्तान गेट के पूर्व की ओर गोविंद मार्ग देखते हुये	

